संख्या-11/2018/ 647 / तीन-2018-10(35)2016

प्रेषक,

जितेंद्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 2018**

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से पुरस्कृत नागरिकों को दी जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र) से अलंकृत प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि दिए जाने संबंधी शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1) /2004 दिनांक 21 सितंबर 2008 एवं शासनादेश संख्या-2314/ तीन-2010-5(1)/2004 दिनांक 27 दिसंबर 2010 के अनुक्रम में दिनांक 1 जनवरी 1986 के बाद के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं के लिए निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पुरस्कार के स्तंभ-5, 6 में अंकित धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी 1986 के पूर्व के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं को भी निम्नलिखित तालिका के पुरस्कार स्तंभ-2 में उल्लिखित पुरस्कार के सम्मुख प्रस्तावित स्तंभ-6 में उल्लिखित वार्षिकी की बढ़ी हुई धनराशि अग्रतर प्रस्तर-2 से 6 में अंकित व्यवस्था के अधीन स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पुरस्कार	शासनादेश संख्या- 2028(1) / तीन-2008-5(1) /2004 दिनांक 21 सितंबर 2008 एवं शासनादेश संख्या-2314 / तीन-2010-5(1)/ 2004 दिनांक 27 दिसंबर 2010 द्वारा स्वीकृत (रू0 लाख में)		प्रस्तावित (रू0 लाख में)	
		एकमुश्त	वार्षिकी	एकमुश्त	वार्षिकी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अशोक चक्र	25.00	1.20	32.50	1.56
2	कीर्ति चक्र	15.00	1.00	19.50	1.30
3	शौर्य चक्र	10.00	0.50	13.00	0.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- दिनांक 1 जनवरी 1986 के बाद के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं को उक्त तालिका के स्तम्भ-2 में पुरस्कार के नाम के सम्मुख स्तंभ-5 व 6 में अंकित धनराशि आदेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगी।

3- दिनांक 1 जनवरी 1986 के पूर्व के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं को भी उक्त तालिका के स्तंभ-02 में उल्लिखित पुरस्कार के नाम के सम्मुख स्तंभ- 6 में अंकित वार्षिकी की धनराशि आदेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगी।

4- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत विजेताओं को ही बढ़ी हुई दर से एकमुश्त की धनराशि अनुमन्य होगी।

5- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व के अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत ऐसे विजेताओं जिन्हें एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि न मिली हो, उन्हें पूर्व के शासनादेश में प्रावधानित व्यवस्था के अनुरुप धनराशि प्राप्त होगी तथा शासनादेश जारी होने के बाद बढ़ी हुई वार्षिकी अग्रेतर वर्षो में मिलेगी।

6- उक्त प्रस्तर-1 में प्रावधानित व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी, ऐसी स्थिति में कोई एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी ।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय-भार, अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक -2075- विविध सामान्य सेवाएं-800 -अन्य व्यय– 03- अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किए जाने वाले उ0 प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रुप में एकमुश्त धनराशि के नामे डाला जाएगा।

8- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय पं0 संख्या-ई-5-1410/दस-2018 दिनांक 03 अक्टूबर 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय
जितेंद्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 11/2018/ 647 / (1) / तीन-2018-10(35)2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव,सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
6- अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत, सरकार नई दिल्ली।
7- जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ।
8- निदेशक, सूचना निदेशालय उ0प्र0 को प्रचार- प्रसार हेतु।
9- एडजुटैन्ट जनरल, सेना मुख्यालय, डी0एच0क्यू0पी0ओ0, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- निदेशक,सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- सैनिक कल्याण अनुभाग -1
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -5
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
हरी राम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।